

५८१५ - १००००

176/22

दिनांक

आज्ञा पत्र

29.3.22

Note press
By Ganga
Date

त्रावली पेश। वकील अपीलान्त ने उपास्थित हांकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण कैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब चकमील दाखिल दफतर हो।



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
प्रदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कम्य सुन्सन्)